



श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार



श्री समीर कुमार महासेठ
उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

**बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति
(वस्त्र एवं चर्म नीति), 2022
Bihar Industrial Investment Promotion Policy
(Textile & Leather Policy), 2022**



बिहार: निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अतर्गित अवसरों का केन्द्र

नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री, बिहार



संदेश

बिहार राज्य देश में तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। राज्य की विकास दर कोरोना महामारी के कारण हुये लॉकडाउन के बावजूद भी राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर रहा है। सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों खासकर सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे राज्य के विकास के साथ-साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य औद्योगिक नीति, 2016 लागू की गयी है।

कोरोना काल में देश के विभिन्न राज्यों में औद्योगिक गतिविधियों के बंद पड़ जाने के कारण इन कामगारों की भारी संख्या में बिहार में वापसी के दौरान राज्य सरकार द्वारा उनकी स्किल मैपिंग करायी गयी तो पता चला कि देश के विभिन्न हिस्सों से लौटे हुये कामगारों में सबसे ज्यादा कामगार टेक्सटाईल हबों में वस्त्र एवं चमड़ा उद्योगों में ही कार्यरत थे। लौटे हुये कामगारों की सहायता के लिए जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना लागू की गयी जिसके अंतर्गत पश्चिम चम्पारण जिले के चनपटिया में स्टार्ट-अप जोन की स्थापना की गयी। चनपटिया स्टार्ट-अप को मुझे भी देखने का मौका मिला। राज्य के अन्य जिलों में भी जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत टेक्सटाईल संबंधी कलस्टर्स एवं अन्य नए उद्यमों की स्थापना की जा रही है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत वस्त्र एवं चमड़ा प्रक्षेत्र को प्राथमिक प्रक्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। किन्तु, इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावना को देखते हुये दिसंबर, 2017 में इसे उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में शामिल किया गया। वस्त्र एवं चमड़ा प्रक्षेत्र को बढ़ावा एवं निवेश को आकर्षित करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चमड़ा नीति), 2022 लागू की गई है। यह नीति, देश के अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाभप्रद है। आशा करते हैं कि यह नीति वस्त्र एवं चमड़ा प्रक्षेत्र में नये निवेशकों को आकर्षित करेगा और इस प्रक्षेत्र में राज्य में निवेश होगा।

शुभकामनाओं के साथ।

(नीतीश कुमार)

प्रस्तावना

वस्त्र और चमड़ा उद्योग देश के सबसे अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों में से एक हैं। यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इसमें विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं। बिहार सरकार द्वारा इस उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी गयी है तथा अब इसके विकास के लिए एक विशेष नीति बनायी गयी है।

बिहार राज्य की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ होने के कारण यह अपने-आपमें एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है एवं साथ ही नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा पड़ोसी राज्यों में भी वस्त्र एवं चर्म से बनी हुई वस्तुओं को भेजने हेतु उपयुक्त स्थान है। राज्य में इन उद्योगों हेतु कुशल कारीगरों की कमी नहीं है तथा राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा इसमें सहयोग कर रही है।

वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अन्य उद्योगों के मुकाबले समान राशि के निवेश पर अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। साथ ही बड़े उद्योगों के साथ-साथ मंझौले एवं छोटे उद्योगों द्वारा भी इस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने में सहायता दी जा सकती है। बिहार सरकार द्वारा बनायी गयी वस्त्र एवं चर्म विकास हेतु नीति का सहायता लेते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग लगाये जा सकते हैं।

राज्य सरकार द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी उद्योगों को जरूरी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) एवं अनुमतियाँ लेने हेतु सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त उद्योगों के स्थापना हेतु सड़क, बिजली एवं अन्य बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। उम्मीद है कि वस्त्र एवं चर्म उद्योग हेतु विशेष नीति इस क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध होगी एवं इससे राज्य में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा।

संदीप पौण्डरीक
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार

बिहार: निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अतर्गित अवसरों का केन्द्र

विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	01
2.	पृष्ठभूमि	01-02
3.	भारत में वस्त्र, पोशाक, चर्म एवं जूता प्रक्षेत्र	02
4.	बिहार में वस्त्र, पोशाक, चमड़ा और सभी प्रकार के जूते प्रक्षेत्र	02-03
5.	नई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) की आवश्यकता	03-04
6.	उद्देश्य	04
7.	केन्द्र बिन्दु के क्षेत्र	04-05
8.	पहँच	05
9.	आवृत क्षेत्र एवं दायरा	05-09
10.	व्यवसायिक वातावरण एवं आधारभूत संरचना सहायता को सक्षम बनाना	09-10
10.1	व्यवसायिक वातावरण को सक्षम बनाना	09
10.2	क्षमता निर्माण	10
10.3	लगाओं और चलाओ आधारभूत संरचना विकास	10
10.4	सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र एवं खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण की सुविधा	10
11.	हस्तक्षेप के लिए प्रक्षेत्र	10-11
11.1	प्रारंपरिक क्षेत्र	11
11.1.1	पारंपरिक बुनाई	11
11.1.2	विद्युत करघा	11
11.1.3	रेशम	11
11.1.4	जूट	11
11.2	हस्तक्षेप के अन्य प्रक्षेत्र	11
12.	प्रोत्साहन	12-17

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
12.1	मार्गदर्शक सिद्धान्त	12–14
12.2	नई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) अन्तर्गत इकाइयों का वर्गीकरण	14
12.3	नई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) के तहत प्रोत्साहन	14–15
12.4	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत प्रोत्साहन	16
12.5	भारत सरकार की योजनाओं के तहत प्रोत्साहन	16
12.6	प्रोत्साहन की अधिसीमा	17
12.7	इस नीति अन्तर्गत आवेदन समर्पित करना	17
12.8	उद्यमियों एवं उद्योग विभाग द्वारा समय–सीमा का पालन	17
13.	नीति का कार्यान्वयन	17–18
14.	सामान्य शर्तें	18–20
अनुलग्नक 1:	घटकों एवं श्रेणियों द्वारा प्रोत्साहनों के स्नैपशॉट	20–21
अनुलग्नक 2:	जाँच सूची (एस0आई0पी0बी0– चरण I)–बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) अन्तर्गत प्रोत्साहनों के लिए	22–23
अनुलग्नक 3:	स्थापना पूर्व (स्टेज II) अनुज्ञप्तियां (24)	24
अनुलग्नक 4:	स्थापना पूर्व (स्टेज III) अनुज्ञप्तियां (22)	25
अनुलग्नक 5:	वित्तीय मंजूरी	26

बिहार सरकार, उद्योग विभाग
संकल्प

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति), 2022

1. प्रस्तावना

बिहार सरकार, राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना एवं सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। राज्य द्वारा विभिन्न प्रक्षेत्रों में जैसे वस्त्र एवं परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, लघु यंत्र उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि में पहल की योजना बनाई गई है।

कृषि के बाद वस्त्र एवं चर्म प्रक्षेत्र तथा इनकी अनुषंगी उत्पादन इकाइयां अधिकतम नियोजन के अवसर उपलब्ध कराती है। वस्त्र एवं चर्म प्रक्षेत्र से संबंधित उद्योग श्रम उन्मुखी उद्योग है तथा इनमें राज्य के आर्थिक विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र एवं चर्म प्रक्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में योगदान उत्पादन, नियोजन सृजन तथा निर्यात आय में मुख्य भूमिका है।

राज्य द्वारा निवेश की सुविधा के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, नियोजन सृजन करने तथा लोगों की भलाई करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया गया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् (एस0आई0पी0बी0) एकल खिड़की (SWC), ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन सत्यापन, स्व-प्रमाणन, अनुज्ञप्ति एवं अनुमति की कालबद्ध स्वीकृति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, डीमड स्वीकृति इत्यादि जैसे उपाय विभिन्न विभागों एवं सरकारी एजेन्सियों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। नियोजन सृजन तथा राज्य में चतुर्दिक औद्योगिक विकास के लिए बिहार सरकार कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण बढ़ाने हेतु उत्सुक है।

यह नीति राज्य में वस्त्र/विद्युत करघा/रेशम/परिधान/चमड़ा एवं कृत्रिम चमड़ा उत्पाद/जूता उत्पादन के संभावित निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए प्रस्तावित है। इस नीति का उद्देश्य वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार के अभियान की सामान्य रूपरेखा को परिभाषित करना है। यह नीति बिहार को प्रतियोगितात्मक एवं समर्पित निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने, क्षेत्रीय विकास करने, निर्यात विशाखन तथा लचीला आर्थिक विकास द्वारा यहाँ के लोगों के जीवनयापन के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए है।

2. पृष्ठभूमि

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) का उद्देश्य वस्त्र, पोशाक, रेशम विद्युत चरखा, चमड़ा, सभी तरह के जूते तथा सम्बद्ध उद्योगों के समग्र प्रक्षेत्रीय विकास को प्राप्त करना तथा निवेश सुविधा सेवा को प्रोत्साहित करना है। वस्त्र, पोशाक, रेशम, विद्युत करघा, चमड़ा, जूते एवं सम्बद्ध इकाइयों की स्थापना के लिए पर्याप्त अवसर विद्यमान है। राज्य सरकार इस प्रक्षेत्र में काम के अवसर बढ़ाने तथा देश के उत्पादन आधार में अधिक मूल्यवर्धन की इच्छुक है। राज्य के वस्त्र, पोशाक, रेशम, विद्युत करघा, चमड़ा, जूता एवं सम्बद्ध उद्योगों को तरुण बनाने हेतु तकनीकी उन्नयन तथा नया निवेश अत्यन्त आवश्यक है।

राज्य के औद्योगिक परिदृश्य के विकास में आधुनिकतम आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिकतम आधारभूत संरचना की उपलब्धता उद्योगों को कम संचालन लागत तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला की प्रक्रिया की स्थापना हेतु समर्थ बनाती है, जिससे क्षमता निर्माण होता है। सामाजिक विकास तथा नियोजन के नए अवसरों के सृजन के साथ ही, इससे स्वदेशी एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलती है। वर्तमान नीति राज्य के अंतर्निहित ताकतों जैसे श्रम (अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) तथा कच्चा माल की उपलब्धता का लाभ लेकर उत्पादन के अवसर को आकर्षित करने हेतु पारिस्थितिक तंत्र उत्पन्न करने का प्रस्ताव करती है।

3. भारत में वस्त्र, पोशाक, चर्म एवं जूता प्रक्षेत्र

चीन के बाद भारत वस्त्र उद्योग प्रक्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कच्चेमाल की पर्याप्त उपलब्धता, श्रमशक्ति की उपलब्धता, वृहत् घरेलू बाजार, पूर्ण उत्पादन, मूल्य श्रृंखला की उपस्थिति तथा सरकारी समर्थन भारत की ताकत है। कच्चे माल जैसे— कपास, ऊन, रेशम, जूट तथा कुशल श्रमशक्ति की पर्याप्त उपलब्धता के कारण भारत विश्व बाजार के लिए अग्रणी सोर्सिंग हब बन गया है। 10 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियोजन प्रदान कर इस प्रक्षेत्र का देश में नियोजन के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान है। हस्तशिल्प को शामिल कर वस्त्र एवं पोशाक का कुल योगदान 2019–20 में भारत के कुल निर्यात का 11.8 प्रतिशत है। 2019–20 में भारत का वस्त्र एवं पोशाक का कुल निर्यात 28.4 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा है।

भारत दुनिया में चर्म परिधान का दूसरा, घुड़सवार की काठी एवं घोड़े की साज का तीसरा एवं चमड़ों के वस्तुओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में चमड़ा उद्योग अग्रणी प्रक्षेत्रों में से एक है जिसमें 55 प्रतिशत कामगार 35 वर्ष से कम उम्र होने के साथ-साथ सार्थक युवा बल हैं। राष्ट्रीय उत्पादन नीति में विकास एवं नियोजन सृजन के लिए चमड़ा को विशेष प्रक्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। भारत से जूता, चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद का निर्यात 2019–20 में 5.07 अरब अमेरिकी डॉलर तथा 2020–21 में 3.68 अरब अमेरिकी डॉलर का था। इस प्रक्षेत्र में मजबूत विकास का कारण वृहद् घरेलू बाजार, कच्चेमाल की उपलब्धता, आसानी से उपलब्ध कुशल एवं कम लागत का मानव संसाधन है।

2 प्रतिशत
सकल घरेलू
उत्पादन में
योगदान

13 प्रतिशत
निर्यात आय
में योगदान

10 करोड़ प्रत्यक्ष
एवं
अप्रत्यक्ष नियोजन

300 अरब
अमेरिकी डालर
2024 तक
अनुमानित
निर्यात आय

4. बिहार में वस्त्र, पोशाक, चमड़ा और सभी प्रकार के जूते प्रक्षेत्र

बिहार में वस्त्र एवं परिधान इकाइयां तथा अन्य मूल्य श्रृंखला की गतिविधियां स्थापित करने की प्रचूर क्षमता है। कुशल एवं अर्द्धकुशल कामगारों की उपलब्धता के अनुसार वस्त्र इकाइयों के लिए बुनकर समुदाय की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण आधार है। राज्य में नियमित बुनकर समुदाय के अतिरिक्त युवाओं की एक बड़ी संख्या (विशेषकर युवा महिला) वस्त्र एवं परिधान उत्पादन इकाइयों में नियोजित हो सकती है, जिससे अनुकूल नियोजन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं जैसे—सिलाई, कटाई एवं अन्य सिलाई कार्य।

बिहार में चर्म प्रक्षेत्र में भी निवेश की अपार संभावनाएँ हैं। कच्चे माल (राज्य में उत्पादित खाल एवं चमड़ों के अनुसार) की उपलब्धता, कम लागत के साथ ही कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक की पर्याप्त उपलब्धता तथा उपभोग के लिए विशाल घरेलू बाजार इस प्रक्षेत्र में भावी निवेशकों के लिए तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं। वर्तमान में राज्य में उदार खंडित क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला है। कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत सूचीबद्ध है

- 53 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम की है।
- भागलपुर रेशम जी0आई0 टैग हैं।
- भागलपुर कलस्टर कर्नाटक के बाद रेशमी वस्त्रों के उत्पाद एवं निर्यात में भारत में दूसरे स्थान पर है।
- एशिया में केवल भागलपुर के बुनकर रेशम में कपास, जूट, भिस्कोज, लिनेन एवं ऊन के सम्मिश्रण में निपुण हैं।
- चौथे राष्ट्रीय हस्तकरघा सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 26,929 बुनकर हैं।
- राज्य में देश के कुलगोजातीय आबादी का लगभग 8 प्रतिशत है। 2012 की पशु गणना के अनुसार पशुओं की कुल आबादी 329.38 लाख थी। गणना के अनुसार गायों की आबादी 122.31 लाख तथा भैंसों की आबादी लगभग 75.67 लाख थी। बकरियों की आबादी 121.53 लाख थी। देश की बकरी आबादी का 12 प्रतिशत बिहार में है, जो देश में तीसरे स्थान पर है।

5. नई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) की आवश्यकता

यह वस्त्र एवं चर्म नीति विद्यमान बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (2020 में संशोधित) की पूरक है।

- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 अन्तर्गत 5 करोड़ रु० निवेश एवं 50 मूल कामगार नियोजित इकाइयां उच्च प्राथमिकता की हैं जबकि लघु इकाइयां जिनमें निवेश कम है, जो बहुत सारा नियोजन सृजित करती हैं। 2 करोड़ रु० से 5 करोड़ रु० की निवेश की इकाइयां 150 से 200 श्रमिकों का नियोजन सृजित करती हैं। यह राज्य के युवाओं के लिए नियोजन के अवसर सृजित कर सकती हैं, क्योंकि यह खण्ड श्रम घनिष्ठ है।
- निर्यातान्मुखी इकाइयाँ, जो एस0जी0एस0टी0 का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, को कर संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करना।
- भूमि बैंक, कुशल श्रमिक, एकल खिड़की अनुमति, व्यापार करने के स्पर्धात्मक लागत, पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन का लाभ।
- कोविड-19 के उपरान्त लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसर सृजित करना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए।

- अन्य राज्यों से बिहार में स्थल परिवर्तन के लिए इकाइयों को सहयोग प्रदान करने ।
- एक संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र के सृजन के लिए जो वस्त्र, पोशाक, जूता एवं चर्म प्रक्षेत्र के विकास को तीव्र गति प्रदान कर सके ।
- वर्तमान नीति (बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016) में रोजगार सृजन प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं है, जबकि पड़ोसी राज्यों की नीतियों में ऐसा प्रावधान है ।
- राज्य में लागू बिजली का दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है एवं वर्तमान नीति (बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016) में सिर्फ विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है । राज्य में लागू विद्युत दर कम करने के लिए आवश्यक है कि विद्युत दर अनुदान का प्रावधान किया जाय ।
- वर्तमान नीति में वस्त्र एवं चमड़े के सामग्रियों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है ।

6. उद्देश्य

इस नीति का लक्ष्य नई और विद्यमान वस्त्र एवं इससे संबद्ध प्रक्षेत्रों, चर्म एवं जूता उद्योग के संपूर्ण विकास हेतु निम्नांकित लक्ष्यों को प्राप्त करना है :

- वस्त्र एवं चर्म प्रक्षेत्र के लिए एक टिकाऊ पारिस्थितिक तंत्र का सृजन एवं सुधार ।
- रेशा से लेकर पहनावा तक के संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का सृजन ।
- खादी, रेशम, हस्तकरघा एवं विद्युत करघा का उत्पादन पश्चात मूल्यवर्धन ।
- सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को प्रोत्साहित करना ।
- “चनपटिया वस्त्र परिधान निर्माण स्टार्ट-अप केन्द्र” की तरह परिधान निर्माण हब की स्थापना करना ।
- न्यूनतम विपणन विशेषताओं को प्रोत्साहित करना ।
- होजियरी, परिधान एवं वस्त्र प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की बड़ी इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करना ।
- घरेलू प्रक्षेत्र के लिए घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर अति महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में उभरना ।
- कोविड-19 में लौटे हुए प्रवासियों का लाभ लेने वाले कुशल एवं अर्द्ध कुशल श्रमशक्ति के उद्योगों को सहयोग प्रदान करना ।
- नियोजन सृजन के राज्य की दृष्टि को प्राप्त करना ।
- अर्द्ध कुशल/कुशल वस्त्र कामगार जो काम के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं, उनके लिए बिहार में ही अवसर सृजित करना ।

7. केन्द्र बिन्दु के क्षेत्र

केन्द्र बिन्दु के क्षेत्र निम्न हैं:

- पारंपरिक हस्तकरघा, खादी, रेशम, फैशन निरूपण एवं रंगाई इत्यादि ।
- क्लस्टर दृष्टिकोण, वस्त्र/चर्म पार्क, लगाओ और चलाओ, बहुमंजिली शेड ।
- होजियरी उत्पाद ।
- परिधान निर्माण ।
- सभी प्रकार के जूते ।
- निर्यात ।
- न्यूनतम विपणन विशेषताएं एवं तकनीकी वस्त्र ।
- समग्र एवं सामंजस्यपूर्ण समेकित वस्त्र/चर्म विकास ।
- सभी जिलों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना ।
- सभी हितधारकों को सहायता प्रदान करने हेतु एक ठोस पारिस्थितिक तंत्र का सृजन ।

8. तरीका/दृष्टिकोण

नीति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु निम्न वर्णित बिन्दुओं को समाहित किया गया है :

- निवेश को बढ़ावा देने हेतु आकर्षक प्रोत्साहन ।
- सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को सहायता प्रदान करने हेतु आधुनिकतम आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना ।
- भारत सरकार के प्रोत्साहनों का लाभ देना ।
- नियोजन सृजन अनुदान द्वारा नियोजन के अधिक अवसर उपलब्ध कराना ।
- हितधारकों से परामर्श द्वारा उद्योग की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं का समझना ।
- हस्तकरघा, विद्युतकरघा, खादी और रेशमी वस्त्रों के लिए पोस्ट फैब्रिक मूल्यवर्धन प्रदान करना एवं साथ ही घरेलू तथा निर्यात बाजार उपलब्ध कराना ।

9. आवृत्त क्षेत्र एवं दायरा

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) का लक्ष्य निम्नांकित गतिविधियों को मजबूत करना है :

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर (सांकेतिक सूची)
रेशा उत्पादन / कताई / बुनाई / प्रसंस्करण ।	<ul style="list-style-type: none"> • कपास /जूट /रेशम /केला /बांस एवं अन्य प्राकृतिक रेशा उत्पादन । • मानव निर्मित रेशा तथा फिलामेंट का उत्पादन । • पोलिस्टर । • एक्रेलिक । • विस्कोश । • रेयान । • सूत कताई । • विद्युत करघा एवं बुनाई । • रंगाई एवं छपाई । • सूत तथा वस्त्र प्रसंस्करण ।
होजियरी सहित पोशाक तथा घरेलू वस्त्र का उत्पादन ।	<ul style="list-style-type: none"> • बुने हुए पोशाक का उत्पादन । • होजियरी उत्पाद का उत्पादन । • साड़ी । • कालीन, गद्दे, तकिए, परदे एवं अन्य घरेलू वस्त्र । • संकीर्ण बुना । • गैर बुना । • रेडिमेड वस्त्र का उत्पादन ।
प्राकृतिक रेशा / विभिन्न तरह के रेशों का सम्मिश्रण	<ul style="list-style-type: none"> • केला रेशा /जूट रेशा / बांस रेशा / नारियल रेशा इत्यादि के प्रसंस्करण हेतु समेकित इकाई तथा केला रेशा /जूट रेशा /बांस रेशा / नारियल रेशा से निर्मित उत्पाद का उत्पादन ।
तकनीकी वस्त्र का उत्पादन ।	<p>निम्नांकित श्रेणियों अन्तर्गत वस्तुओं का उत्पादन:</p> <ul style="list-style-type: none"> • एग्रोटेक (कृषि, बागवानी एवं वानिकी आदि) । • विल्डटेक (भवन एवं निर्माण आदि) । • क्लॉथटेक (जूते एवं कपड़ों के तकनीकी अव्यव आदि) । • जीओटेक (जीओ टेक्सटाईल्स एवं असैनिक अभियंत्रण आदि) । • होमटेक (फर्निचर के अवयव, घरेलू वस्त्र एवं फर्श के कवरिंग आदि) । • इन्डटेक (छानने, सफाई एवं अन्य औद्योगिक उपयोग आदि) ।

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर (सांकेतिक सूची)
	<ul style="list-style-type: none"> • मेडिटेक (स्वच्छता एवं स्वास्थ्य आदि) । • ओकोटेक (पर्यावरण संरक्षण आदि) । • पैकटेक (पैकेजिंग आदि) । • प्रोटेक (व्यक्तिगत एवं संपत्ति की सुरक्षा आदि) । • स्पोर्टटेक (खेल एवं आराम आदि) । • डीफेन्सटेक (रक्षा से संबंधित) ।
हस्तकरघा एवं खादी वस्त्र उत्पादन के पश्चात प्रसंस्करण	<ul style="list-style-type: none"> • हस्तकरघा एवं खादी वस्त्रों के उपयोग की पश्चात सुविधाएं ।
चर्म प्रसंस्करण	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रि-टैनिंग प्रक्रिया <ul style="list-style-type: none"> • क्यूरिंग • सोकिंग • पेंटिंग • लाइमिंग • फ्लेशिंग • डि-लाइमिंग • बेटिंग • पिकलिंग • डि-ग्रिसिंग ❖ टैनिंग ❖ पोस्ट-टैनिंग प्रक्रिया <ul style="list-style-type: none"> • स्पिलिटिंग • शेविंग • न्यूट्रलाइजेशन • डाईंग • फ़ैटलिकरिंग • सैमिंग • सेटिंग आउट

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर (सांकेतिक सूची)
	<ul style="list-style-type: none"> • फाइनल ड्राईंग • स्टैकिंग एवं ड्राई ड्रमिंग • बफिंग एवं ब्रशिंग • फिनिशिंग • फाइनल ग्रेडिंग
लेदरेट प्रोसेसिंग (पी0यू0 लेदर, पी0भी0सी0 लेदर, फॉक्स पास लेदर, माइक्रो फाइबर लेदर इत्यादि)	<p>ड्राई एवं वेट मैथड</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ मिक्सिंग ❖ पास्ट कोटिंग ❖ कैलेंडरिंग ❖ फोमिंग ❖ सरफेस कोटिंग ❖ कटिंग एण्ड इंस्पेक्शन
चर्म उत्पाद का उत्पादन।	<p>उत्पादन—</p> <ul style="list-style-type: none"> • चमड़े के जूते, चमड़े की चप्पलें एवं चमड़े के अन्य जूते-चप्पल के सामान। • चमड़े के जूते के अवयव। • चमड़े के परिधान। • गद्दे के लिए चमड़ा। • चमड़े के सामान (उदाहरण के लिए लेबल, टैग, बेल्ट, बैग, पर्स एवं दस्तानें तथा अन्य उपस्कर एवं फैशन की वस्तुएं)। • ऑटोमोबाइल (कार आदि) एवं फर्निचर के लिए गद्दे। • घुड़सवार की काटी एवं घोड़े के साज का सामान।
कृत्रिम चर्म उत्पाद से संबंधित उत्पादन।	<ul style="list-style-type: none"> • कृत्रिम चमड़ा के परिधान। • कृत्रिम चमड़ा के जूते, कृत्रिम चमड़ा के चप्पल एवं कृत्रिम चमड़ा के अन्य जूते एवं चप्पल के सामान। • गद्दे के लिए चमड़ा। • चमड़े के सामान (उदाहरण के लिए लेबल, टैग, बेल्ट, बैग, पर्स एवं दस्तानें तथा अन्य उपस्कर एवं फैशन की वस्तुएं)। • ऑटोमोबाइल (कार आदि) एवं फर्निचर के लिए गद्दे।

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर (सांकेतिक सूची)
व्यापार विकास सेवाएं	<ul style="list-style-type: none"> आर० एण्ड डी० सुविधाएं, डिजाइन स्टूडियो / प्रोटोटाइपिंग की सुविधाएं, गुणवत्ता परीक्षण, प्रयोगशाला आदि।
वस्त्र पार्क / चर्म पार्क / प्रसंस्करण पार्क	<ul style="list-style-type: none"> वस्त्र एवं पोशाक पार्क। चमड़ा एवं जूता पार्क। चमड़ा पार्क। रेशम पार्क।
ऊल प्रसंस्करण	<ul style="list-style-type: none"> स्कावरिंग। कम्बिंग। कताई। बुनाई। मिलिंग।
वस्त्र एवं चमड़ा तथा कृत्रिम चमड़ा के उपस्करों का उत्पादन	<ul style="list-style-type: none"> उपस्करों का उत्पादन तथा वस्त्र कंपनियों को आपूर्ति (बैग, जिप, बटन, धागे इत्यादि)। उपस्करों का उत्पादन तथा चर्म की कंपनियों को आपूर्ति (जिप, बटन, फीते एवं धागे इत्यादि)। उपस्करों का उत्पादन तथा ऑटोमाबाइल, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य प्रक्षेत्र को आपूर्ति।
सभी प्रकार के जूते	<ul style="list-style-type: none"> सभी प्रकार के जूते—रबर, प्लास्टिक, कपड़ा, वस्त्र (कपास, ऊन, पोलिस्टर, नायलोन), सिंथेटिक, फोम तथा अन्य पदार्थों का सम्मिश्रण।

10. व्यावसायिक वातावरण एवं आधारभूत संरचना सहायता को सक्षम बनाना

10.1 व्यावसायिक वातावरण को सक्षम बनाना

पूर्वी एवं उत्तरी भारत तथा पड़ोसी देशों के विशाल बाजारों की निकटता, कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाहों तथा पड़ोसी राज्यों से कच्चेमाल के श्रोतों एवं खनिज भंडार तक पहुँच के कारण बिहार को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। राज्य में प्रभावी लागत औद्योगिक श्रम का बड़ा आधार है, जो इसे व्यापक श्रेणी के उद्योगों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है।

राज्य में निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बिहार उत्तरोत्तर प्रथाओं को अपना रहा है, ताकि निवेश को सुगम बनाया जा सके। राज्य द्वारा किए गए सुधार के प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं :

- i. **एकल खिड़की प्रणाली** : इसे क्लियरेंस के तीव्र निष्पादन एवं निवेशकों के अनुकूल वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से गठित किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सभी मंजूरी प्रदान करने के लिए एक एकीकृत क्लियरेंस प्रणाली प्रदान करना है।

- ii. **उद्योग मित्र** : उद्यमियों को विभिन्न उद्योगों के लिए निवेश प्रस्ताव से संबंधित और इकाई स्थापना हेतु आवश्यक विभिन्न क्लियरेंस से संबंधित प्रासंगिक जानकारी को प्रसारित करता है। यह सभी प्रकार के उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रासांगिक परियोजना की रूपरेखा तथा नीति संबंधी सूचना के रूप में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। उद्योग मित्र में प्रत्येक चरण में उद्यमियों की सहायता के लिए एक "उद्यमी सहायता प्रकोष्ठ" शामिल है।
- iii. **उद्योग संवाद** : शिकायत निवारण के लिए उद्योग संवाद पोर्टल का निर्माण किया गया है। यह राज्य में मौजूदा उद्यमियों के मुद्दों के समाधान के लिए तथा सभी संभावित उद्यमियों की पृच्छाओं का उत्तर देने के लिए एक पहल है।

10.2. क्षमता निर्माण

वस्त्र एवं चर्म प्रक्षेत्र से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले कुछ प्रमुख संस्थान निम्नवत हैं :

- क. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निपट)–पटना
- ख. मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान (एम०आई०टी०)–मुजफ्फरपुर
- ग. फूटवियर डिजाइन एण्ड डेभलपमेन्ट इंस्टिट्यूट (एफ०डी०डी०आई०)–पटना
- घ. अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाईन सेन्टर (ए०टी०डी०सी०)–पटना

10.3 लगाओ और चलाओ आधारभूत संरचना विकास

राज्य सरकार का लक्ष्य लचीला आधारभूत संरचना विकसित करने का होगा, जिसमें इकाई चलाने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी एवं बुनियादी ढांचे होने चाहिए जैसे–बिजली, परीक्षण केन्द्र, थ्री डी मुद्रण, जल उपचार, बिजली घर, डम्प यार्ड एवं अन्य साथ ही राज्य प्लैट फ़ैक्ट्री विकल्प उपलब्ध कराने पर भी विचार करेगा।

10.4 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र एवं खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण की सुविधा

बिहार सरकार कलस्टर स्तर तथा पार्क स्तर पर औद्योगिक अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग हेतु उपचार अथवा पर्यावरण के लिए सुरक्षित निपटाने के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण का समर्थन करेगी।

अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की लागत अनुमोदित परियोजना लागत में शामिल होगी जैसा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के खंड–6.1 (xxii) में उल्लिखित है। इस अवयव अन्तर्गत सहायता परिचालन अवधि के दौरान केवल एक बार उपलब्ध होगी।

11. हस्तक्षेप के लिए प्रक्षेत्र

11.1. पारंपरिक प्रक्षेत्र

11.1.1. पारंपरिक बुनाई

बिहार लगभग एक लाख हथकरघा बुनकरों का निवास स्थान है। नीति का उद्देश्य व्यापक रोजगार संभावना एवं पारंपरिक बुनाई को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान कराना है।

पारंपरिक बुनाई के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं:

- प्रौद्योगिकी संचालित लाइनों पर उत्पादन के प्रयास।
- उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

11.1.2. विद्युत करघा

वस्त्र इकाइयों के लिए कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों की उपलब्धता के मामले में राज्य में बिजली-करघा, बुनकरों के समुदाय की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। इस प्रक्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु निम्नांकित उपाय किए जाएंगे :

- तकनीकी उन्नयन तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
- सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक बुनकर समूहों को आधारभूत संरचना सहायता, बुनाई पूर्व सुविधाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, व्यापार केन्द्र प्रदान करना।

11.1.3 रेशम

राज्य में तीन प्रकार के सिल्क का उत्पादन एवं बुनाई किया जाता है : तसर, अंडी, एवं मलवरी। भागलपुर और बांका का तसर रेशम बिहार का एक विशिष्ट उत्पाद है। बांका एवं जमुई राज्य के दो प्रमुख तसर, कुक्कुन उत्पादक जिले हैं। रेशम, विकास तथा रोजगार सृजन का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। रेशम उत्पाद में वृद्धि हेतु निम्नांकित उपाय करना शामिल होंगे :

- विनिर्माण में मशीनरी के कार्यान्वयन के लिए पूंजीगत अनुदान सहायता उपलब्ध कराना।
- जैविक खेती एवं पर्यावरण के अनुकूल रेशम को बढ़ावा देना – वान्या सिल्क।

11.1.4 जूट

बिहार देश का एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। राज्य में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एवं सुपौल प्रमुख जूट उत्पादक जिले हैं। जूट फाइबर के प्रसंस्करण के लिए एकीकृत इकाइयों की स्थापना और जूट फाइबर से निर्मित उत्पाद जैसे कपड़े, शॉपिंग बैग, फर्श कवरिंग और अन्य वस्तुओं के निर्माण में निवेश के अवसर मौजूद हैं।

11.2. हस्तक्षेप के अन्य प्रक्षेत्र

- i. धागा
- ii. वस्त्र एवं पोशाक
- iii. तकनीकी वस्त्र
- iv. प्राकृतिक / जैविक वस्त्र
- v. चमड़ा, कृत्रिम चमड़ा और जूते

12. प्रोत्साहन

यह नीति राज्य में वस्त्र एवं इससे संबद्ध उत्पादन, चमड़ा, कृत्रिम चमड़ा एवं जूता प्रक्षेत्र में निवेश संभावनाओं में आगे के सुधार के लिए पात्र इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहनों की आवश्यकता को पहचानती है।

12.1 मार्गदर्शक सिद्धान्त

- i. ये प्रावधान/सिद्धान्त इस नीति अन्तर्गत सभी पात्र परियोजनाओं/इकाइयों पर लागू होंगे।
- ii. यह नीति अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगी। उक्त तिथि को इस नीति की प्रभावी तिथि माना जाएगा जिससे इसके प्रावधान लागू होंगे तथा अधिसूचना निर्गत की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेंगे।
- iii. प्रोत्साहनों के लिए आवेदन करने वाले इकाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ अधिसूचित राष्ट्रीय बैंकों अथवा आरबीआई/एसबीआई द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार किये गये बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे, जिनके द्वारा इकाई को सावधिक ऋण उपलब्ध कराया जाना अनुमानित हो। बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रोत्साहनों की गणना के लिए परियोजना लागत का पता लगाने का आधार बनेगा।
- iv. उन इकाइयों के लिए, जो बैंक ऋण का लाभ नहीं उठा रही हैं, और जिनके पास बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं है, की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का आकलन करने में उद्योग विभाग पैनल में शामिल एजेंसियों को सुविधा प्रदान करेगी।
- v. इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहनों की गणना के उद्देश्य से अचल पूंजी निवेश का मतलब उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित सक्षम प्राधिकार द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित परियोजना लागत, अचल पूंजी निवेश प्रोत्साहन तय करने का आधार होगा।
- vi. इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन की गणना के लिए विचरित अचल पूंजी निवेश में भूमि की लागत भूमि के अलावा कुल प्रस्तावित निवेश के 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार अचल लागत निवेश में या तो बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित भूमि की वास्तविक लागत या भूमि को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर विचार किया जाएगा। इस नीति अन्तर्गत सभी निवेशों की जाँच के लिए इस सिद्धान्त का पालन किया जाएगा।
- vii. विशेष श्रेणी के उद्यमियों के मामले में सभी प्रकार के प्रोत्साहन (भूमि के लिए को छोड़कर) की अधिकतम सीमा के लिए सभी श्रेणियों में दी गई सीमा में अतिरिक्त 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- viii. इस नीति अन्तर्गत इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किए जाने के पश्चात प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- ix. इस नीति अन्तर्गत निवेशक द्वारा प्रोत्साहन (किसी भी घटक) का दावा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के संयोजन में किया जा सकता है।

- x. अचल पूंजी निवेश जिसमें भूमि में निवेश (भूमि को छोड़कर परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम), संयंत्र और मशीनरी, विद्युत अधिष्ठापन एवं इकाई की स्थापना के लिए आवश्यक अन्य सभी अस्तियां शामिल हैं, लेकिन इसमें कार्यशील पूंजी लागत, आकस्मिकता व्यय, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज एवं अन्य कोई अस्पष्टीकृत लागत घटक शामिल नहीं होंगे।
- xi. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्विष्ट संयंत्र एवं मशीनरी पर विचार किया जाएगा।
- xii. अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए सभी पात्र इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) अन्तर्गत प्रोत्साहन के साथ भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- xiii. भारत सरकार की योजना अन्तर्गत आवेदन करने वाले निवेशकों को हैन्डहोल्ड के लिए उद्योग विभाग परियोजना प्रबंधन एजेन्सी (पी0एम0ए0) नियुक्त करेगा।
- xiv. इस योजना अन्तर्गत भारतीय शाखा वाले भारतीय / विदेशी बैंकों के विदेश शाखा से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋण लाभ के पात्र होंगे। यथापि, ऋण खाता भारतीय शाखा से भी परिचालित होना चाहिए, ताकि अनुदान की राशि भारतीय रुपये में आवेदक के भारतीय शाखा के खाते में हस्तांतरित किया जाना संभव हो सके। रुपया सावधि ऋण का विदेशी मुद्रा में परिवर्तन तथा इसके विपरीत की अनुमति है।
- xv. निवेश सूची में परिवर्तन नहीं होने की शर्त के साथ बकाया मूल ऋण राशि एक उधार देने वाली एजेन्सी से दूसरे उधार देने वाली एजेन्सी को स्थानांतरित की जा सकती है।
- xvi. कोई विद्यमान अथवा नई इकाई, जो नीति अवधि में क्षमता विस्तार, विशाखन अथवा आधुनिकीकरण करती है, उसे उसके बढ़े हुए अनुमोदित परियोजना लागत पर नई इकाइयों के लिए अनुमान्य जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे। लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यमान इकाई की क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत क्षमता विस्तार / आधुनिकीकरण होना चाहिए।
- xvii. इकाइयाँ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित के लिए लाभ उठा सकती हैं :
 - सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज
 - विशेष वर्ग के उद्यम के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज
 - सूक्ष्म एवं लघु इकाई स्थापित करने वाले विशेष वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज
 - रूग्ण इकाइयों का पुनर्वास
 - अन्य राज्यों से बिहार में स्थानांतरित होने वाली इकाइयाँ
 - इकाई के प्रबंधन का विलय / हस्तांतरण
- xviii. केन्द्र तथा राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के साथ डोवटेलिंग :

प्रोत्साहन के निम्नलिखित श्रेणियों के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के साथ डोवटेलिंग मान्य होगा :

 - कौशल विकास सब्सिडी

बिहार: निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अन्तर्गत अवसरों का केन्द्र

- ब्याज प्रतिपूर्ति
- कर संबंधी प्रोत्साहनों
- पेटेंट रजिस्ट्रेशन

12.2. नई बिहार वस्त्र एवं चर्म नीति अन्तर्गत इकाइयों का वर्गीकरण

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) अन्तर्गत इकाइयों को श्रेणी ए इकाइयों अथवा श्रेणी बी इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और निवेशकों को अपने बाजार अभिविन्यास के आधार पर किसी भी श्रेणी को चुनने की स्वतंत्रता होगी।

श्रेणी ए	श्रेणी बी
बुनाई, निटिंग पोशाक एवं परिधान, पोशाक एवं परिधान उपस्कर, होजियरी, चर्म एवं कृत्रिम चर्म परिधान तथा चर्म एवं कृत्रिम चर्म जूते तथा सभी प्रकार के जूते	स्पिनिंग, गिनिंग, वस्त्र प्रसंस्करण (धागा, छपाई), कृत्रिम फाइबर, सिन्थेटिक फाइबर, पोलिस्टर, एक्विलिक, विस्कोज, रेयन, तकनीकी वस्त्र, चर्म प्रसंस्करण (टैनिंग, फिनिशिंग इत्यादि)

नोट: एकीकृत इकाइयाँ उपरोक्त श्रेणियों के आधार पर अनुपातिक प्रोत्साहन के अनुरूप हो सकती हैं।

12.3 नई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) के तहत प्रोत्साहन

निवेशकों के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन नीचे सूचीबद्ध हैं :

क्र.	प्रोत्साहन	प्रोत्साहन की मात्रा		
1	पूँजी निवेश अनुदान (श्रेणी-ए एवं बी के लिए)	एम० एस० एम० ई० डी० अधिनियम, 2006 एवं बी० आई० आई० पी० पी०, 2016 के अनुसार निवेश (पी० एण्ड एम० में निवेश) आधारित औद्योगिक इकाइयाँ	पूँजीनिवेश अनुदान (%) पिछले 2 वित्तीय वर्ष के औसत वार्षिक टर्नओवर का	पूँजीनिवेश अनुदान की अधिसीमा (रु. करोड़ में)
		सूक्ष्म इकाइयाँ (रु० 01 करोड़ से अधिक निवेश नहीं हो)।	प्लान्ट एवं मशीनरी का 15%।	रु० 10 करोड़
		लघु इकाइयाँ (रु० 01 करोड़ से अधिक निवेश एवं रु० 10 करोड़ से अधिक निवेश नहीं हो)।	पाँच वर्षों में पाँच बराबर किस्तों में देय होगा।	
		मध्यम इकाइयाँ (रु० 10 करोड़ से अधिक निवेश एवं रु० 50 करोड़ से अधिक निवेश नहीं हो)।		
		वृहद् इकाइयाँ (रु० 50 करोड़ से अधिक निवेश एवं रु० 100 करोड़ से अधिक निवेश नहीं हो)।		
		मेगा इकाइयाँ (रु० 100 करोड़ से अधिक निवेश)		
* अधिसीमा केवल बिहार घटक के लिए है जिसमें भारत सरकार की योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन शामिल नहीं है।				

बिहार: निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अतर्गित अवसरों का केन्द्र

क्र.	प्रोत्साहन	प्रोत्साहन की मात्रा												
2	माल भाड़ा प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन (श्रेणी-ए एवं बी के लिए)	सभी पात्र इकाइयों को परियोजना स्थल से बंदरगाह तक माल ढुलाई शुल्क पर केवल पहले पाँच वर्षों की अवधि के लिए 30 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी जाएगी। (अधिकतम 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष) (केवल निर्यात के लिए)।												
3	रोजगार सृजन अनुदान (इ0 एस0 आई0 एवं पी0 एफ0 सहित) (सिर्फ श्रेणी-ए के लिए)	<p>राज्य सरकार द्वारा इकाई को रोजगार सृजन अनुदान के रूप में इ0एस0आई0 एवं इ0पी0एफ0 मद में भुगतान किये गये राशि का 300% उपलब्ध कराया जायेगा। उदाहरण स्वरूप मानव संसाधन को उनके इ0एस0आई0 एवं इ0पी0एफ0 भागीदारी के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है (अधिकतम रु0 5000 प्रति माह प्रति कर्मचारी) :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">श्रेणी</th> <th style="width: 80%;">अधिसीमा (रुपये प्रति माह)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अर्द्ध-कुशल</td> <td style="text-align: center;">3000</td> </tr> <tr> <td>कुशल</td> <td style="text-align: center;">4000</td> </tr> <tr> <td>उच्च कुशल</td> <td style="text-align: center;">5000</td> </tr> </tbody> </table> <p>रोजगार सृजन अनुदान प्राप्त करने वाली पात्र इकाइयों को कम-से-कम 75% बिहार के निवासियों की सीधी नियुक्ति करनी होगी। ऐसे कर्मों कम-से-कम 100 की संख्या में होंगे।</p> <p>(‘सीधी नियुक्ति में वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो सीधे निर्माण प्रक्रिया में शामिल होते हैं जैसे-ऑपरेटर, फिनिशर, पैकर इत्यादि। कर्मचारियों/कर्मियों जैसे- चालक, सुरक्षा कर्मी, सफाईकर्मी, चपरासी इत्यादि के लिए रोजगार सृजन अनुदान का लाभ देय नहीं होगा।)</p> <p>सभी पात्र इकाइयों को प्रशिक्षित कर्मचारी/कर्मों को कम-से-कम एक वर्ष के लिए नियोजित रखना होगा।</p>	श्रेणी	अधिसीमा (रुपये प्रति माह)	अर्द्ध-कुशल	3000	कुशल	4000	उच्च कुशल	5000				
श्रेणी	अधिसीमा (रुपये प्रति माह)													
अर्द्ध-कुशल	3000													
कुशल	4000													
उच्च कुशल	5000													
4	विद्युत शुल्क दर अनुदान (सिर्फ श्रेणी-ए के लिए)	<p>वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए रु0 2.00 प्रति यूनिट की दर से निम्न प्रकार देय होगा :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">श्रेणी</th> <th style="width: 80%;">अधिसीमा (लाख रु0 में) प्रति वर्ष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सूक्ष्म</td> <td style="text-align: center;">2.5</td> </tr> <tr> <td>लघु</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>मध्यम</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td>वृहत्</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>मेगा</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </tbody> </table> <p>अनुदान का दावा करने वाली इकाइयों को अपने टर्नओवर के दावे के समर्थन के लिए जी0एस0टी0 रिटर्न का कागजात (एस0जी0एस0टी0 एवं आई0जी0एस0टी0) प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(यह बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत विद्युत शुल्क अनुदान के समावेशी के रूप में स्वीकार्य होगा।)</p>	श्रेणी	अधिसीमा (लाख रु0 में) प्रति वर्ष	सूक्ष्म	2.5	लघु	12	मध्यम	35	वृहत्	60	मेगा	80
श्रेणी	अधिसीमा (लाख रु0 में) प्रति वर्ष													
सूक्ष्म	2.5													
लघु	12													
मध्यम	35													
वृहत्	60													
मेगा	80													

बिहार: निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अतर्गित अवसरों का केन्द्र

क्र.	प्रोत्साहन	प्रोत्साहन की मात्रा
5	पेटेन्ट निबंधन (श्रेणी-ए एवं बी के लिए)	प्रति पेटेन्ट व्यय का 50%, अधिकतम रु० 10 लाख। पेटेन्ट दाखिल करने, एटोर्नी शुल्क, पेटेन्ट ट्रेकिंग आदि के लिए हुए व्यय के लिए अधिकतम रु० 4 लाख दिया जाएगा।

12.4 बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत प्रोत्साहन

इस नीति के तहत वस्त्र और चमड़ा इकाइयाँ (श्रेणी-ए एवं बी के लिए) भी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। प्रोत्साहनों का सारांश इस प्रकार है :

क्र.	प्रोत्साहन (श्रेणी-ए एवं बी के लिए)	प्रोत्साहन की मात्रा
6	ब्याज अनुदान	किसी इकाई के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत (सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिये 12 प्रतिशत) तक अथवा वास्तविक सूद की दर जो भी कम हो 5 वर्षों तक जिसकी अधिकतम सीमा अचल पूंजी निवेश (एफ० सी० आई०) का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु० 20 करोड़ तक जो भी कम हो।
7	कर संबंधित प्रोत्साहन	सभी नई इकाइयाँ उत्पादन तिथि से पाँच वर्षों तक राज्य सरकार के खाते में जमा की गई स्वीकृत एस०जी०एस०टी० (उनके द्वारा भुगतान किए गए कर जो विशुद्ध रूप से व्यापार/व्यवसाय से उत्पन्न हो, को सख्ती से नहीं शामिल कर) की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की हकदार होंगी। एस०जी०एस०टी० प्रतिपूर्ति आउटपुट कर देयता के विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात शुद्ध देय कर पर लागू होगा।
8	स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क से छूट	सभी इकाइयों को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से बाहर की इकाइयों को भी औद्योगिक भूमि/शेड के पट्टा/बिक्री/हस्तांतरण पर लगने वाले स्टैम्प शुल्क/निबंधन शुल्क को प्रथम एक बार 100 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी।
9	भूमि सम्पत्तिवर्तन शुल्क से छूट	कृषि भूमि के सम्पत्तिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट।
10	कौशल विकास अनुदान	कौशल विकास अनुदान प्रति कर्मी रु० 20,000 अथवा बी० एस० डी० एम० दर अथवा वास्तविक, जो भी कम हो। सभी पात्र इकाइयों को प्रशिक्षित कोर कर्मी/कर्मचारी को कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए नियोजित करना होगा।

12.5. भारत सरकार की योजनाओं के तहत प्रोत्साहन :

निवेशक भारत सरकार की किसी भी पात्र योजना का लाभ उठा सकते हैं, भले ही उन्हें नीति की अधिसूचना के बाद घोषित किया गया हो और नीति अवधि के दौरान दावा करना होगा। ये योजनाएं/प्रोत्साहन/कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अधिसूचित समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं।

12.6. प्रोत्साहन की अधिसीमा :

- I. इस नीति के साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त कुल प्रोत्साहन (क्र०सं०-1 से 7 तक तथा क्र०सं०-10 का कुल) अचल पूँजीनिवेश (एफ० सी० आई०) का 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और एक वर्ष में पूरे प्रोत्साहन का 1/5 भाग से अधिक भुगतान नहीं होगा।
- II. भारत सरकार की योजना अन्तर्गत दावा किए गए प्रोत्साहन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में दावा किए गए प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होंगी।
- III. स्वीकृत प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों का उल्लेख परिचालन पुस्तिका में किया जाएगा तथा प्रोत्साहन पाँच वर्षों की अवधि में संवितरित किए जाएंगे।

12.7 इस नीति अन्तर्गत आवेदन समर्पित करना

इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र इकाइयों को चरण-1 की मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

पात्र इकाइयों जिनके द्वारा इस नीति की अधिसूचना की तिथि के पूर्व चरण-1 की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है, उन्हें भी इस नीति अन्तर्गत आच्छादित किया जाएगा, बशर्ते उनके द्वारा वित्तीय मंजूरी नहीं प्राप्त की गई हो।

12.8 उद्यमियों एवं उद्योग विभाग द्वारा समय-सीमा का पालन

चरण 1:- चरण-1 की मंजूरी के लिए आवेदन अधिकतम 30.06.2023 तक उद्योग विभाग (डी०ओ०आई०) के एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल पर जमा किया जाना चाहिए।

बियाडा द्वारा भूमि आवंटन :- उद्यमियों को भूमि आवंटन के लिए बियाडा के पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसे बियाडा द्वारा अगले सात (07) कार्य दिवसों में निपटारा किया जाएगा।

वित्तीय मंजूरी :- वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन उद्योग विभाग के एकल खिड़की पोर्टल पर अधिकतम 30 जून, 2024 तक जमा किया जाना चाहिए।

13. नीति का कार्यान्वयन :

- I. उद्योग विभाग, बिहार सरकार राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार नोडल एजेन्सी होगी। उद्योग निदेशक इस नीति के लिए नोडल अधिकारी होंगे।
- II. इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहनों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप संसाधित किया जाएगा।
- III. इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने वाली इकाइयां उद्योग विभाग, बिहार सरकार के एकल खिड़की मंजूरी (एस० डब्लू० सी०) पोर्टल पर आवेदन करेंगी।

- IV. निवेश को बढ़ावा देने और आकर्षित करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-4 के अनुसार गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एस० आई० पी० बी०) को राज्य के संबंधित विभागों/एजेन्सियों को दिशा-निर्देश जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। वस्त्र/परिधान उत्पादन की इकाइयों के लिए बिहार सरकार के अन्य विभागों/एजेन्सियों से आवश्यक सभी एन० ओ० सीज०, अनुमतियों एवं मंजूरियां उद्योग विभाग, बिहार सरकार के एकल खिड़की मंजूरी (एस०डब्लू०सी०) पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
- V. उद्योग विभाग वस्त्र एवं चर्म/परिधान उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को हैन्ड-होलिडिंग सहयोग उपलब्ध कराएगा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) से भूमि आवंटन, निजी भूमि के लिए भूमि निबंधन तथा भूमि उपयोग सम्पत्तिवर्तन तथा अन्य लागू मंजूरियां/अनुज्ञप्तियां/एन० ओ० सी०।

14. सामान्य शर्तें

- I. यदि प्रोत्साहन प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई झूठी घोषणा की जाती है अथवा ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त की गई है, जो पात्र नहीं थी अथवा इस नीति की शर्तों का कोई उल्लंघन, इस तरह का लाभ उठाने की तिथि से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ प्रोत्साहन की राशि वसूलनीय होगी। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार ब्याज सहित ऐसी राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाए के रूप में कर सकती है।
- II. असाधारण अप्रत्याशित घटना अथवा परिस्थितियां जो मानव नियंत्रण से परे हों जैसे, दैवी घटना के रूप में वर्णित (एक प्राकृतिक आपदा की तरह) अथवा युद्ध, हमले, दंगे, अपराध जैसी घटनाएं (लेकिन लापरवाही अथवा गलत करना, पूर्वानुमानित/मौसमी वर्षा तथा अन्य कोई घटना जो विशेष रूप से इस खंड में शामिल नहीं किए गए हैं, शामिल नहीं होंगे) के अपवाद के साथ इस नीति अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाली इकाइयाँ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) अन्तर्गत प्रोत्साहनों की अंतिम किस्त के संवितरण की तिथि से न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए परिचालन में रहेगी। यदि इकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति) अन्तर्गत प्रोत्साहनों की अंतिम किस्त के संवितरण की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के पूर्व गैर-परिचालन हो जाएगी तो इकाई द्वारा प्राप्त सभी अनुदान 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।
- III. इस नीति में प्रयुक्त शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत दिया गया है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है। व्याख्या/विवादों के सभी मामले का निर्णय औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। ऐसी व्याख्या/निर्णय अंतिम होगा।
- IV. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की नकारात्मक सूची में उल्लिखित उद्योग इस नीति अन्तर्गत किसी प्रोत्साहन के पात्र नहीं होंगे।
- V. अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी विसंगति के मामले में अंग्रेजी भाषा संस्करण सभी प्रकार से बाध्यकारी तथा प्रबल होगा।

बिहार: निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अनगिनत अवसरों का केन्द्र

VI. यह नीति बिहार राजपत्र में इस नीति की अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी तथा अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक प्रचालन में रहेगी।

15. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 26.05.2022 को मद संख्या-17 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



31/6/2022

(संदीप पौण्डरीक)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1275 /पटना, दिनांक: 03.06.2022

सं०सं०-4तक0 /टेक्सटाईल पॉलिसी / 152 / 2021

अनुलग्नक 1: घटकों एवं श्रेणियों द्वारा प्रोत्साहनों के रनैपशॉट

क्र.	प्रोत्साहन/श्रेणी	प्रोत्साहन	अधिसीमा (रु० में)	नीति
1	पूँजी निवेश अनुदान—सूक्ष्म	प्लांट एवं मशीनरी का 15%	रु० 10 करोड़	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति), 2022
	पूँजी निवेश अनुदान—लघु			
	पूँजी निवेश अनुदान— मध्यम			
	पूँजी निवेश अनुदान— वृहत्			
	पूँजी निवेश अनुदान— मेगा			
2	विद्युत शुल्क अनुदान—सूक्ष्म	रु० 2.00 प्रति यूनिट (*केवल श्रेणी—ए की इकाइयों हेतु)	रु० 2.5 लाख	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति), 2022
	विद्युत शुल्क अनुदान—लघु		रु० 12 लाख	
	विद्युत शुल्क अनुदान—मध्यम		रु० 35 लाख	
	विद्युत शुल्क अनुदान—वृहत्		रु० 60 लाख	
	विद्युत शुल्क अनुदान—मेगा		रु० 80 लाख	
3	पेटेन्ट निबंधन (सभी पात्र इकाइयां— प्रति पेटेन्ट)	प्रति पेटेन्ट व्यय किये गये खर्च का 50%, अधिकतम रु० 10 लाख।	रु० 10 लाख	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति), 2022
4	रोजगार सृजन अनुदान— कुशल	कर्मचारियों के इ०एस०आई० एवं इ०पी०एफ० में भुगतेय राशि का 300%(*केवल श्रेणी—ए की इकाइयों हेतु)	रु० 3000	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति), 2022
	रोजगार सृजन अनुदान— अर्द्ध कुशल		रु० 4000	
	रोजगार सृजन अनुदान— उच्च कुशल		रु० 5000	
5	माल ढुलाई प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन।	5 वर्षों के लिए माल ढुलाई शुल्क का 30% प्रतिपूर्ति	रु० 10 लाख प्रतिवर्ष	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति), 2022
6	कर संबंधी अनुदान (सभी पात्र इकाइया)	एस०जी०एस०टी० का 100%	*माल ढुलाई एवं कर संबंधी दोनों के लिए अधिसीमा 100% (सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए 130%)	बी०आई० पी०पी०, 2016

बिहार: निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अनगिनत अवसरों का केन्द्र

क्र.	प्रोत्साहन/श्रेणी	प्रोत्साहन	अधिसीमा (रु० में)	नीति
7	ब्याज अनुदान (सभी इकाइयों)।	10% (सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए 12%)	एफ०सी०आई० का 50% तथा 20 करोड़ तक जो भी कम हो।	बी०आई० पी०पी०, 2016
8	कौशल विकास अनुदान (सभी पात्र इकाइयों, प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष)	रु० 20,000	रु० 20,000	बी०आई० पी०पी०, 2016
9	स्टॉम्प शुल्क/निबंधन शुल्क से छूट (सभी पात्र इकाइयों)	100%	100%	बी०आई० पी०पी०, 2016
10	भूमि सम्पारिवर्तन शुल्क से छूट (सभी पात्र इकाइयों)	100%	100%	बी०आई० पी०पी०, 2016

नोट : कर संबंधी प्रोत्साहन तथा माल भाड़ा प्रतिपूर्ति एक साथ किसी भी स्थिति में एफ० सी० आई० के 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए (सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के मामले में 130%)।

अनुलग्नक 2 : जाँच सूची (एस०आई०पी०बी०-चरण I) –बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति), 2022 के अन्तर्गत प्रोत्साहनों के लिए

चरण 1 के लिए जाँच सूची के अवयव निम्नवत है :

आवेदन और सूचना के लिए वेबसाइट : swc.bihar.gov.in/Portal/#!/home

क्रमांक	विवरण	
1.	परियोजना रूपरेखा (अधिकतम 10 पृष्ठ) जिसमें संक्षिप्त विवरण शामिल है : <ul style="list-style-type: none"> परियोजना विवरण (प्रक्षेत्र, उद्योग, उत्पाद)। इकाई की प्रस्तावित क्षमता तथा स्थान। उद्यमी/प्रवर्तक का संक्षिप्त विवरण। परियोजना लागत एवं वित्त के साधन। 	
2.	भूमि दस्तावेज (पट्टा बिलेख/बिक्री विलेख/एन ओ सी (यदि उपलब्ध हो)।	
3.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए मुख्तारनामा/शपथ-पत्र/बोर्ड संकल्प।	
4.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पता प्रमाण।	
5.	व्यापार इकाई से संबंधित दस्तावेज।	
5.ए	स्वामित्व	<ul style="list-style-type: none"> i. स्वामी का पैन कार्ड। ii. स्वामी का आधार कार्ड। iii. व्यवसाय का पता प्रमाण। iv. स्वामी का आई टी रिटर्न, यदि लागू हो। v. स्वामी का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (अंतिम तीन वर्ष), यदि लागू हो।
5.बी	साझेदारी	<ul style="list-style-type: none"> i. सभी भागीदारों का पैन कार्ड। ii. सभी भागीदारों का आधार कार्ड। iii. व्यवसाय का पता प्रमाण। iv. साझेदारी फर्म का आई०टी० रिटर्न, यदि लागू हो। v. साझेदारी फर्म का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (अंतिम तीन वर्ष), यदि लागू हो। vi. फर्म निबंधन प्रमाण पत्र। vii. साझेदारी की निबंधित विलेख।
5.सी	न्यास/संस्था	<ul style="list-style-type: none"> i. सभी न्यासियों/प्रबंध समिति सदस्यों का पैन कार्ड। ii. सभी न्यासियों/प्रबंध समिति सदस्यों का आधार कार्ड। iii. व्यवसाय का पता प्रमाण। iv. न्यास/संस्था का आई टी रिटर्न, यदि लागू हो।

क्रमांक	विवरण	
		<p>v. न्यास/संस्था का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (अंतिम तीन वर्ष), यदि लागू हो।</p> <p>vi. संस्था निबंधन प्रमाण पत्र।</p> <p>vii. न्यास/संस्था का निबंधित विलेख/ज्ञापन +ट्रस्ट का उपनियम/संस्था।</p>
5.डी	कंपनी/एल०एल०पी०	<p>i. सभी निदेशकों/निर्दिष्ट साझेदारों के पैन कार्ड।</p> <p>ii. सभी निदेशकों/निर्दिष्ट साझेदारों के आधार कार्ड।</p> <p>iii. व्यवसाय का पता प्रमाण।</p> <p>iv. कंपनी/एल०एल०पी० (यदि मौजूदा कंपनी है) का आई०टी० रिटर्न, यदि लागू हो।</p> <p>v. कंपनी/एल०एल०पी० (अंतिम तीन वर्ष), यदि मौजूदा कंपनी है, यदि लागू हो।</p> <p>vi. मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सहित निगमन प्रमाण-पत्र।</p>
6.	कार्यरत इमेल आईडी और मोबाइल नंबर	
7.	पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान किया जाने वाला वैधानिक शुल्क	

अनुलग्नक 3 : स्थापना पूर्व (चरण II) अनुज्ञप्तियां (19)

चरण II में आवश्यक मंजूरियां हैं :

- औद्योगिक भूमि का आवंटन, यदि लागू हो।
- बिहार भूमि सम्परिवर्तन अधिनियम, 2010 अन्तर्गत कृषि भूमि का गैर कृषि में सम्परिवर्तन, यदि लागू हो।
- संपत्ति का निबंधन।
- भूमि स्वामित्व का उत्परिवर्तन।
- बिहार भवन उपनियम, 2014 अन्तर्गत भूमि विकास योजना की स्वीकृति।
- बिहार भवन उपनियम, 2014 अन्तर्गत भवन योजना की स्वीकृति।
- कारखाना अधिनियम, 1948 अन्तर्गत किसी भवन को कारखाना के रूप में बनाने, विस्तारित करने या उपयोग में लाने की अनुमति।
- अग्नि सुरक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (अनंतिम)।
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), 1974 अन्तर्गत स्थापित करने की सहमति।
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), 1981 अन्तर्गत स्थापित करने की सहमति।
- विद्युत संयोजन (एल०टी०) का अनुमोदन एवं संस्वीकृति, यदि लागू हो।
- विद्युत संयोजन (एच०टी०) का अनुमोदन एवं संस्वीकृति, यदि लागू हो।
- वृक्ष प्राधिकरण/उपयुक्त प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (निर्माण गतिविधियों के प्रारंभ के पूर्व), यदि लागू हो।
- वृक्ष पारगमन अनुमति, यदि लागू हो।
- विद्युत संयोजन के लिए सड़क काटने-मार्ग-अधिकार (आर०ओ०डब्लू०) अनुमति, यदि लागू हो।
- ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) 1970 अन्तर्गत ठेकेदारों के लिए अनुज्ञप्ति।
- अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार (आर०ई० एवं सी०एस०) अधिनियम, 1979 अन्तर्गत प्रतिष्ठान का निबंधन, यदि लागू हो।
- नगर निगम नल (पीने और अन्य उद्देश्य दोनों के लिए) की आपूर्ति, यदि लागू हो।
- औद्योगिक उद्देश्य के लिए नदी/सार्वजनिक टंकी से जलापूर्ति की स्वीकृति, यदि लागू हो।

अनुलग्नक 4 : स्थापना पूर्व (चरण III) अनुज्ञप्तियां (15)

चरण III में आवश्यक मंजूरियां हैं :

- समापन सह अधिभोग अनुमति के लिए भवन का समापन ।
- अग्नि सुरक्षा के लिए एन०ओ०सी० (अंतिम) ।
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 अन्तर्गत संचालन के लिए सहमति ।
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अन्तर्गत संचालन के लिए सहमति ।
- दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम अन्तर्गत निबंधन ।
- कारखाना अधिनियम, 1948 अन्तर्गत निबंधन एवं कारखाना अनुज्ञप्ति की स्वीकृति ।
- ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन), 1970 के प्रावधान अन्तर्गत प्रमुख नियोक्ता के प्रतिष्ठान का निबंधन एवं ठेकेदारों के लिए अनुज्ञप्ति ।
- भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 अन्तर्गत निबंधन ।
- अंतरराज्यीय प्रवासी/कामगारों (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, अन्तर्गत मूल नियोक्ता का निबंधन प्रमाण पत्र ।
- बिहार व्यावसायिक कर नियम, 2011 अन्तर्गत निबंधन, यदि लागू हो ।
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम अन्तर्गत निबंधन ।
- नगरपालिका ठोस अवशेष के लिए प्राधिकृत, यदि लागू हो ।
- खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार चलन) नियम, 2016 अन्तर्गत प्राधिकृति, यदि लागू हो ।
- मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा विद्युत स्थापना का प्रमाण-पत्र ।
- अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार (आर०ई० एवं सी०एस०), अधिनियम, 1979 अन्तर्गत प्रतिष्ठान का निबंधन, यदि लागू हो ।

अनुलग्नक 5 : वित्तीय मंजूरी

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०)।
- बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन।
- बैंक स्वीकृति पत्र।
- इकाइयों के नाम पर भूमि दस्तावेज।
- साझेदारी के मामले में गठन दस्तावेज।

साझेदारी

- फर्म निबंधन प्रमाण-पत्र।
- साझेदारी का निबंधित विलेख।

न्यास/संस्था

- संस्था निबंधन प्रमाण-पत्र।
- निबंधित विलेख/न्यास/संस्था का ज्ञापन + उपनियम।

कंपनी/एल० एल० पी०

मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सहित निगमन का प्रमाण-पत्र।

परिभाषा :

शब्दावली	परिभाषा									
उपस्कर (उत्पादन में आगे प्रयुक्त)	परिधान एवं चर्म उद्योग में प्रयुक्त होने वाले उपस्कर जैसे—धागा, जिपर, इन्टर, लाइनिंग, बटन, लेवल, पॉकेटिंग, फ़ैब्रिक एलास्टिक रिबन, रिमेट, कॉलर बोन इत्यादि (सूची मात्र संकेतात्मक है)।									
उपस्कर (तैयार माल के रूप में प्रयुक्त)	परिधान एवं चर्म उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के उपस्कर जैसे—बैग, बेल्ट, मोजे, फीते, पी0पी0ई0 किट, मास्क, हैन्ड बैग, टोपी, दस्ताना, वाहन सीट कभर, रूफ लिनेन, मैट, गलीचा, दुपट्टा, छाता एवं अन्य (सूची मात्र संकेतात्मक है)।									
पोशाक एवं परिधान उद्योग	पोशाक एवं परिधान उद्योग में वैसी कंपनियां हैं जो कपड़े, जूते एवं अन्य उपस्करों का निरूपण, उत्पादन एवं बिक्री करती है।									
वर्ग— अ इकाई	बुनाई, निटिंग पोशाक एवं परिधान, पोशाक एवं परिधान उपस्कर, होजियरी, चर्म एवं कृत्रिम चर्म परिधान तथा चर्म एवं कृत्रिम चर्म जूते तथा सभी प्रकार के जूते स्तर— ब अन्तर्गत विचारणीय है।									
वर्ग— ब इकाई	स्पिनिंग, गिनिंग, वस्त्र प्रसंस्करण (धागा, छपाई), कृत्रिम फाइबर, सिन्थेटिक फाइबर, पोलिस्टर, एक्विलिक, विस्कोज, रेयन, तकनीकी वस्त्र, चर्म प्रसंस्करण (टैनिंग, फिनिशिंग इत्यादि) स्तर—अ अन्तर्गत विचारणीय है।									
रंगाई	रंगाई में वांछित तीव्रता के अनुरूप रंग लाने हेतु वस्त्र के वस्तुओं जैसे—रेशा यार्न एवं कपड़ों पर रंगो अथवा रंग रूपों का इस्तेमाल किया जाता है। रंगाई वस्त्र उत्पादन के किसी भी स्तर पर किया जा सकता है—रेशा यार्न, वस्त्र अथवा परिधान एवं पोशाक सहित तैयार वस्त्र उत्पाद।									
अचल पूँजी निवेश (एफ0सी0आई0)	अचल पूँजी निवेश में (भूमि को छोड़कर परियोजना लागत का 20% अधिकतम), मशीन एवं उपकरण, विद्युतीय स्थापन एवं सभी अन्य अस्तियां, परन्तु कार्यशील पूँजी लागत, आकस्मिकता व्यय, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज एवं अन्य कोई अवर्णित लागत के अवयव शामिल नहीं होंगे।									
गिनिंग	गिनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास के बीज एवं मलवा को निकाला जाता है।									
औद्योगिक इकाई	<table border="1"> <thead> <tr> <th>औद्योगिक इकाई</th> <th>संयंत्र एवं मशीनरी, अन्य उपकरण तथा कारोबार में वर्गीकरण आधारित निवेश।</th> <th>अधिसूचना अनुसार परिभाषा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सूक्ष्म</td> <td>जहाँ निवेश रु0 1 करोड़ से अधिक नहीं हो तथा कारोबार रु0 5 करोड़ से अधिक नहीं हो।</td> <td>दिनांक 01 जून, 2020 को निर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) का संशोधित अधिसूचना के अनुसार।</td> </tr> <tr> <td>लघु</td> <td>जहाँ निवेश रु0 1 करोड़ से अधिक हो लेकिन रु0 10 करोड़ से अधिक नहीं हो तथा कारोबार रु0 5 करोड़ से अधिक है लेकिन रु0 50 करोड़ से अधिक नहीं हो।</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	औद्योगिक इकाई	संयंत्र एवं मशीनरी, अन्य उपकरण तथा कारोबार में वर्गीकरण आधारित निवेश।	अधिसूचना अनुसार परिभाषा	सूक्ष्म	जहाँ निवेश रु0 1 करोड़ से अधिक नहीं हो तथा कारोबार रु0 5 करोड़ से अधिक नहीं हो।	दिनांक 01 जून, 2020 को निर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) का संशोधित अधिसूचना के अनुसार।	लघु	जहाँ निवेश रु0 1 करोड़ से अधिक हो लेकिन रु0 10 करोड़ से अधिक नहीं हो तथा कारोबार रु0 5 करोड़ से अधिक है लेकिन रु0 50 करोड़ से अधिक नहीं हो।	
औद्योगिक इकाई	संयंत्र एवं मशीनरी, अन्य उपकरण तथा कारोबार में वर्गीकरण आधारित निवेश।	अधिसूचना अनुसार परिभाषा								
सूक्ष्म	जहाँ निवेश रु0 1 करोड़ से अधिक नहीं हो तथा कारोबार रु0 5 करोड़ से अधिक नहीं हो।	दिनांक 01 जून, 2020 को निर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) का संशोधित अधिसूचना के अनुसार।								
लघु	जहाँ निवेश रु0 1 करोड़ से अधिक हो लेकिन रु0 10 करोड़ से अधिक नहीं हो तथा कारोबार रु0 5 करोड़ से अधिक है लेकिन रु0 50 करोड़ से अधिक नहीं हो।									

बिहार: निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अलग्गित अवसरों का केन्द्र

शब्दावली	परिभाषा											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-color: green;"> <thead> <tr style="background-color: #C8E6C9;"> <th style="width: 15%;">औद्योगिक इकाई</th> <th style="width: 55%;">संयंत्र एवं मशीनरी, अन्य उपकरण तथा कारोबार में वर्गीकरण आधारित निवेश।</th> <th style="width: 30%;">अधिसूचना अनुसार परिभाषा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मध्यम</td> <td>जहाँ निवेश रु0 10 करोड़ से अधिक हो लेकिन रु0 50 करोड़ से अधिक नहीं हो तथा कारोबार रु0 50 करोड़ से अधिक हो लेकिन रु0 250 करोड़ से अधिक नहीं हो।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>वृहत्</td> <td>जहाँ निवेश रु0 50 करोड़ से अधिक लेकिन रु0 100 करोड़ से कम हो</td> <td rowspan="2">बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के परिभाषा के अनुसार।</td> </tr> <tr> <td>मेगा</td> <td>जहाँ निवेश रु0 100 या अधिक हो</td> </tr> </tbody> </table>	औद्योगिक इकाई	संयंत्र एवं मशीनरी, अन्य उपकरण तथा कारोबार में वर्गीकरण आधारित निवेश।	अधिसूचना अनुसार परिभाषा	मध्यम	जहाँ निवेश रु0 10 करोड़ से अधिक हो लेकिन रु0 50 करोड़ से अधिक नहीं हो तथा कारोबार रु0 50 करोड़ से अधिक हो लेकिन रु0 250 करोड़ से अधिक नहीं हो।		वृहत्	जहाँ निवेश रु0 50 करोड़ से अधिक लेकिन रु0 100 करोड़ से कम हो	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के परिभाषा के अनुसार।	मेगा	जहाँ निवेश रु0 100 या अधिक हो
औद्योगिक इकाई	संयंत्र एवं मशीनरी, अन्य उपकरण तथा कारोबार में वर्गीकरण आधारित निवेश।	अधिसूचना अनुसार परिभाषा										
मध्यम	जहाँ निवेश रु0 10 करोड़ से अधिक हो लेकिन रु0 50 करोड़ से अधिक नहीं हो तथा कारोबार रु0 50 करोड़ से अधिक हो लेकिन रु0 250 करोड़ से अधिक नहीं हो।											
वृहत्	जहाँ निवेश रु0 50 करोड़ से अधिक लेकिन रु0 100 करोड़ से कम हो	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के परिभाषा के अनुसार।										
मेगा	जहाँ निवेश रु0 100 या अधिक हो											
समेकित इकाई	वस्त्र, चर्म, पोशाक एवं परिधान की इकाइयां जिनमें एक कंपनी/निदेशक/इकाई द्वारा एक ही स्थल पर एक से अधिक भैल्यू चेन का क्रिया-कलाप किया जाता है, उसे समेकित इकाई परिभाषित किया जाएगा।											
चमड़ा	चमड़ा पशुओं के चमड़े एवं खाल हैं जिन्हें संरक्षित करने एवं पोशाक, जूते, हैण्ड बैग, फर्निचर, औजार एवं खेल सामग्री तैयार करने योग्य बनाने हेतु रसायनों द्वारा शोधित किया जाता है।											
कृत्रिम चमड़ा	वास्तविक चमड़ा जिसे पशु की खाल को रसायनों से शोधित कर बनाया जाता है, से भिन्न कृत्रिम चमड़ा विशेष कर प्राकृतिक अथवा कृत्रिम वस्त्र रेशा पर पी0भी0सी0 अथवा पोलियूरथेन की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता है तथा इसमें कोई एनिमल बार्ड-प्रोडक्ट नहीं होता है।											
चर्म प्रसंस्करण	चर्म प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चा पशु चमड़ा को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उपयोग योग्य चमड़ा बनाया जाता है।											
मेड-अप वस्त्र इकाई	मेड-अप वस्त्र इकाई में वस्त्र की वस्तुओं का मेड-अप सामग्री तैयार किया जाता है। उनके द्वारा होम टेक्सटाईल (जैसे-बेड लिनेन, पिलोज, बीन बैग्स, कारपेट्स) तथा घर के बाहर के उपयोग के लिए मेड-अप सामग्री का उत्पादन किया जाता है।											
नन-वूभेन टेक्सटाईल	नन-वूभेन लचीला, छिद्रयुक्त, रसायनिक, उष्मीय अथवा यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा एक अथवा एक से अधिक रेशा का चिपकाया हुआ वस्त्र उत्पाद है।											
आधुनिक परिधान एवं वस्त्र	आधुनिक वस्त्र एवं परिधान का उत्पादन सूक्ष्म रेशा के उपयोग से अधिकतम विशेषताओं जैसे हल्कापन, हवा का प्रवाह, जल निरोधक अथवा उष्मा एवं प्रकाश निरोधी बनाने के लिए किया जाता है। आधुनिक वस्त्र उद्योग में चमड़ा, कपड़ा, पोशाक का निरूपण, उत्पादन एवं वितरण का कार्य किया जाता है। विद्युत करघा सहित विद्युत चालित, आधुनिक मशीनें आधुनिक वस्त्र उद्योग अन्तर्गत आता है। पोशाक एवं परिधान की इकाइयां, तकनीकी वस्त्र इकाइयां, कृत्रिम रेशा की इकाइयां, मुद्रण एवं मशीन द्वारा कशीदाकारी की इकाइयां।											

बिहार: निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अतृणित अवसरों का केन्द्र

शब्दावली	परिभाषा
संयंत्र एवं उपकरण (पी0 एण्ड एम0)	पी0 एण्ड एम0 से तात्पर्य है इकाई द्वारा मशीन एवं उपकरण तथा उपस्कर में निवेश जाँच एवं मापांकन प्रयोगशालाओं के लिए केन्द्रीय प्रमाणन पर्षद द्वारा प्रमाणित गुणवत्ता प्रमाणन एवं जाँच प्रयोगशाला जिसमें भूमि एवं आवास इकाइयों में निवेश शामिल नहीं होंगे।
प्रिंटिंग	प्रिंटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वस्त्र रेशा को रंग, द्रव्य रंग अथवा संबंधित वस्तुओं से प्रतिरूप के रूप में सुसज्जित किया जाता है।
विशेष वर्ग	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एस0सी0/एस0टी0), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (इ0बी0सी0), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इ0डब्लू0एस0), महिलाएं, दिव्यांग, युद्ध विधवाएं एवं तेजाब आक्रमण पीड़ित।
पारंपरिक बुनाई	पारंपरिक बुनाई लकड़ी के पारंपरिक उपकरण से सभी प्रकार के पारंपरिक ऊनी, सूती एवं सिल्क के कपड़े तैयार करने का कार्य है। बुनकर द्वारा तैयार सामग्री बहुमुखी उपयोग के होते हैं जैसे शॉल, स्कार्फ, टेबल क्लॉथ, बेडशीट, परदा, हैण्ड बैग तथा पारंपरिक पोशाक तैयार करने के लिए कपड़ों के टुकड़े।
निटिंग/निटेड फ़ैब्रिक	निटिंग वह तरीका है जिसके द्वारा सूत से वस्त्र अथवा कपड़ा तैयार किया जाता है। इसका उपयोग अनेक तरह के परिधान में होता है। निटिंग द्वारा तैयार कपड़ा निटेक फ़ैब्रिक है।
रेडिमेड गारमेन्ट्स	पहनने योग्य अथवा पहनने योग्य नहीं सिले कपड़े, जिनमें कपड़े के दोनों सिरों सिलाई मशीन द्वारा सिले हों।
स्पिनिंग	ढेर से रेशा खींचकर तथा उन्हें लपेटकर निरंतर धागा अथवा सूत बनाने की प्रक्रिया है।
पारंपरिक परिधान एवं वस्त्र	पारंपरिक वस्त्र उद्योग में अधिकतम कपास एवं रेशम के रेशे का उपयोग किया जाता है। हस्तकरघा कपड़े जैसे खादी भी पारंपरिक वस्त्र अन्तर्गत आते हैं। परंपरागत कपास एवं रेशम उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित क्रियाकलाप एवं प्रक्रिया, जूट उत्पादन एवं प्रक्रिया, पारंपरिक रंगाई इकाई एवं अन्य संबंधित प्रक्रिया। प्रयुक्त तकनीक, हाथ द्वारा बुनाई/हस्तकरघा वस्त्र।
तकनीकी वस्त्र	<p>तकनीकी वस्त्र कार्य संबंधी कपड़े हैं, जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों यथा- ऑटोमोबाईल, असैनिक अभियंत्रण एवं निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि सहित। सामग्रियों का उत्पादन निम्न श्रेणियों में :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • एग्रोटेक (कृषि, वागवानी एवं वानिकी इत्यादि)। • बिल्डटेक (भवन एवं निर्माण इत्यादि)। • क्लॉथटेक (जूते एवं कपड़ों के तकनीकी अवयव इत्यादि)। • डीफेन्सटेक (सैन्य उपयोग के लिए जीओटेक जिया टेक्सटाईल एवं असैनिक अभियंत्रण इत्यादि)। • होमटेक (फर्निचर के अवयव, हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स एवं फ्लोर कभरिन्स इत्यादि)।

शब्दावली	परिभाषा
	<ul style="list-style-type: none"> इन्डटेक (शोधन, सफाई एवं अन्य औद्योगिक उपयोग इत्यादि)। मेडिटेक (स्वच्छता एवं स्वास्थ्य इत्यादि)। ओकोटेक (पर्यावरण संरक्षण इत्यादि)। पैकटेक (पैकेजिंग इत्यादि)। प्रोटेक (व्यक्तिगत एवं संपत्ति सुरक्षा इत्यादि)। स्पोर्टटेक (खेलकूद एवं अवकाश इत्यादि)।
वस्त्र उद्योग	वस्त्र उद्योग में प्राथमिक तौर पर सूत, कपड़ा एवं पहनावा का निरूपण, उत्पादन एवं वितरण का कार्य किया जाता है।
वस्त्र प्रसंस्करण	वस्त्र प्रसंस्करण में परिभाषित प्रक्रिया द्वारा वस्त्र रेशा से तैयार कपड़ा उत्पाद का उत्पादन अथवा रूपांतरण किया जाता है।
बुनाई/बुने हुए कपड़े	बुनाई में कपड़ा को दो सूत या रेशम के धागों को ताना पर रखकर कपड़े में बदलना शामिल है। बुनाई से बनने वाला कोई भी कपड़ा बुना कपड़ा है। बुने हुए कपड़े अक्सर कई धागों के ताने एवं बाने से करघे पर बनाए जाते हैं।

बिहार: निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अतगिनत अवसरों का केन्द्र

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
ए० टी० यू० एफ० एस०	एमेन्डेड टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन फन्ड स्कीम
बी० आई० ए० डी० ए०	बिहार इन्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी
बी० आई० आई० पी० पी०	बिहार इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट प्रोमोशन पॉलिसी
बी० एस० डी० एम०	बिहार स्किल डेवलपमेन्ट मिशन
बी० टेक०	बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी
बी० टी० एल० पी०	बिहार टेक्सटाईल एण्ड लेदर पॉलिसी
सी० इ० पी०एस०	कन्टिन्यूअिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स
सी० एफ० सी०	कॉमन फैसिलिटी सेन्टर
सी० आइ० एस०	कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी
सी० एम०— एम० एस० आई०—सी० डी० पी०	चीफ मिनिस्टर—माइक्रो एण्ड स्मॉल इन्डस्ट्रीज—कलस्टर डेवलपमेन्ट प्रोग्राम
डी० ओ० आई०	डिपार्टमेन्ट ऑफ इन्डस्ट्रीज
डी० पी० आर०	डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट
इ० बी० सी०	एक्सट्रीमली बैकवार्ड क्लास
इ० एस० आई०	इम्पलाई स्टेट इन्श्योरेंस
इ० टी० पी०	इपल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट
इ० डब्लू० एस०	इकोनोमिकली वीकर सेक्सन
एफ० सी० आई०	फिक्सड कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट
एफ० डी० डी० आई०	फूटवियर डिजाइन डेवलपमेन्ट इन्स्टीच्यूट
एफ० ओ० बी०	फ्री आन बोर्ड
जी० डी० पी०	ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
जी० ओ० बी०	गवर्नमेन्ट ऑफ बिहार
जी० ओ० आई०	गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया
जे० आर० एम० बी०	जूट रॉ मेटेरियल बैंक
एल० एल० पी०	लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनर
एम० एम० एफ०	मिनिमम मार्केटेबल फीचर
एम० एस० ई०—सी० डी० पी०	माइक्रो स्मॉल इन्टरप्राइज—कलस्टर डेवलपमेन्ट प्रोग्राम
एम० एस० आई०—सी० डी० पी०	माइक्रो एण्ड स्मॉल इन्डस्ट्रीज—कलस्टर डेवलपमेन्ट प्रोग्राम
एम० एस० एम० इ०	माइक्रो स्मॉल मीडियम इन्टरप्राइज

बिहार: निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में अलगिनत अवसरों का केन्द्र

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एम० टेक०	मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी
एन० ए० बी० इ० टी०	नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एन्ड ट्रेनिंग
एन० आई० एफ० टी०	नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी
एन० ओ० सी०	नो ऑबजेक्सन सर्टिफिकेट
ओ० बी० सी०	अदर बैकवार्ड कास्ट
पी० जी०	पोस्ट ग्रेजुएट
पी० एल० आई०	प्रोडक्सन लिन्कड इन्सेन्टिव
पी० एण्ड एम०	प्लान्ट एण्ड मशीनरी
क्यू० सी० आई०	क्वालिटी काउन्सिल आफ इंडिया
आर० बी० आई०	रिजर्व बैंक आफ इंडिया
एस० बी० आई०	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एस० सी०	सीड्यूल कास्ट
एस० जी० एस० टी०	स्टेट गवर्नमेन्ट सर्विस टैक्स
एस० आई० ए० एम०	स्कीम फॉर इन्क्यूबेशन इन एपैरेल मैन्यूफैक्चरिंग
एस० आई० पी० वी०	स्टेट इनभेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड
एस० आई० टी० पी०	स्कीम फार इन्टीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क
एस० एम० ओ०	सोशल मीडिया आण्टिमाइजेशन
एस० पी० ई० एल० एस० जी० यू०	स्कीम फार प्रोडक्शन एण्ड इम्प्लायमेन्ट लिन्कड सपोर्ट फार गारमेन्टिंग यूनिट्स
एस० पी० भी०	स्पेशल परपज भेहिकल
एस० टी०	सीड्यूल ट्राइव
एस० डब्लू० सी०	सिंगल विन्डो क्लीयरेंस
एस० ओ० पी०	स्टैंडर्ड ऑपरेंटिंग प्रोसीजर्स
टी० एण्ड ए०	टेक्सटाईल एण्ड एपैरेल
यू० जी०	अन्डर ग्रेजुएट



अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

उद्योग विभाग, बिहार सरकार

विकास भवन, पटना – 800 015 (बिहार)

<https://state.bihar.gov.in/industries>

उद्योग मित्र

<https://www.udyogmitrabihar.in> | फोन : +91 (612) 2547695

टॉल फ्री नंबर: 1800 345 6214

सिंगल विंडो क्लियरेंस (एस.आई.पी.बी.) से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा जानकारी के लिए

हमें ईमेल करें : sipb.care@bihar.gov.in



नीति देखने के लिए क्यू.आर. कोड को स्कैन करें